बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

:: संकल्प ::

संकल्प सं0-सी0एस01/आर-01-7/03 2176 /पटना-15, दि0-14 नव0,03.

विषयः- राज्य के चार कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों तथा सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/गंडक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर/ कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल-बदुआ-चंदन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर का प्रशासनिक नियंत्रण कृषि (विशेषकार्यक्रम) विभाग से हटाकर जल संसाधन विभाग में हस्तानरित करने के लिए निर्गत संकल्प सं0-2010, दिनांक-29-10-03 को विलोपित/रद्द करते हुए मंत्रिपरिषद् के लिये गये दिनांक-21-10-03 के आलोक मे संशोधित संकल्प ।

उपरोक्त विषय के आलोक में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर हुए विचार विमर्श के क्रम मे दिये गये सुझावों द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग की स्पष्ट अनुशंसा, वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का इष्टतम लाभ लेने एवं चरणबद्ध रूप से इनकी वितरण प्रणालियों के प्रबंधन का हस्तान्तरण लाभान्वितों की समिति को सुगमता से करने के उद्देश्य से दि0-21-10-03 के मंत्रिपरिषद् की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप चारों कमाण्ड क्षेत्रों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया है । पूर्व में निर्गत 2010 दिनांक-29-10-03 का संकल्प स्वतः विलोपित माना जायगा एवं इस संकल्प के निदेश ही प्रभावी होंगें :-

(क) राज्य के चारों कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों यथा सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर/ कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल-बदुआ-चन्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर का प्रशासनिक नियंत्रण कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग से हटाकर जल संसाधन विभाग के अधीन कियाजाए, जिससे की जल संसाधन विभाग अपनी प्रमुख भमिका निभा सके ।

-कृ0पृ0उ0-

(ख) उपर्युक्त चारों कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण जहाँ है, जैसे है उसी रूप में कार्यरत रहेंगे। प्रशासनी विभाग में परिवर्त्तन के बाद भी वर्त्तमान व्यवस्था के अनुरूप चारों कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण अपने आप में स्वतंत्र तथा अलग-अलग इकाई माने जायेंगे। इनमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन जल संसाधन विभाग में नहीं किया जायेगा। इसके लिए विभाग सक्षम भी नहीं होगा। इन काड़ाओं में जो बाह्य पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं तथा कृषि विभाग जल संसाधन विभाग आदि के, उनका पदस्थापन पूर्व की भाँति बाह्य सेवा शर्त्तों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही की जायेगी। इन अभिकरणों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को जल संसाधन विभाग के किसी भी संवर्ग में विलयन का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपरोक्त चारों अभिकरणों के प्रशासनिक नियंत्रण का हस्तान्तरण जल संसाधन विभाग में होने के परिप्रेक्ष्य बिहार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास अभिकरण अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3-1979) में जहाँ भी "कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग" अंकित है, के स्थान पर "जल संसाधन विभाग" पढ़ा जायेगा। उक्त अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन लाने की कार्रवाई का दायित्व जल संसाधन विभाग का होगा।

(घ) चारों अभिकरणों के प्रशासनिक नियंत्रण का हस्तान्तरण जल संसाधन विभाग को प्राप्त होने के पश्चात कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग के वर्ष 2003-04 के लिए तैयार आय-व्यय में उपरोक्त अभिकरणों के मद में प्रावधानित राशि का भी हस्तान्तरण कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग से जल संसाधन विभाग को किया जायेगा। चारों अभिकरणों का हस्तान्तरण कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग से जल संसाधन विभाग ~~जल संसाधन विभाग~~ में होते ही भविष्य में आय-व्यय एवं लेखा संबंधी कार्य योजना एवं गैर योजना का बजट आदि जल संसाधन विभाग के वार्षिक बजट के अंतर्गत ही होगा। बजट शीर्ष-2705 कमाण्ड क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा परियोजित योजना अब जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित की जायेगी।

(ङ) चारों अभिकरणों द्वारा विधिवत अर्जित की गयी परिसम्पत्ति एवं दायित्व जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित हो जायेगा।

(च) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरूप बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में अब कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण निदेशालय होगा जिसका प्रभार जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख के अंतर्गत रहेगा तथा वे सीधे आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रति उत्तरदायी होंगे। उक्त अभिकरणों का प्रशासनिक नियंत्रण कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग से जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित होने के फलस्वरूप वर्त्तमान में कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग के विभागीय स्तर के

जो भी पदाधिकारी/कर्मचारी है वे स्वतः जल संसाधन विभाग में कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय में स्थानान्तरित समझे जायेंगे । इन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या उनके वेतनमान और पदनाम यथावत रहेंगे ।

§2§ उपरोक्त सभी निर्णय तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

§ अखिलेश्वर प्र0 गिरि §
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2176 / पटना-15, दि0 14 नवंबर, 2003.

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी क्षेत्रीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

§ अखिलेश्वर प्र0 गिरि §
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2176 / पटना-15, दि0 14 नवं. 03.

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, (पटना) रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

§अखिलेश्वर प्र0 गिरि §
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 2176 / पटना-15, दि0 14 नवं. 03.

प्रतिलिपि- राजकीय मुद्रणालय को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

§अखिलेश्वर प्र0 गिरि §
सरकार के अपर सचिव ।